कार्यालय नगर पालिक निगम, (राजस्व) रायपुर (छ.ग.)

फोन.न.:- 2535780, 90, फैक्स :- 0771-2227395

Website - www.nagarnigamraipur.nic.in

क.–1557/ राजस्व / न.पा.नि. / 2020 रायपुर, दिनांक 11/02/2020

// विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित दुकानों के निविदा ऑफर आमंत्रण सूचना //

नगर निगम रायपुर द्वारा मोहबा बाजार की–**14 दुकानें**, नेताजी सुभाष स्टेडियम **की–19** दुकानें एवं डंगनिया की–08 दुकानें **कुल–41** दुकानों को **30** वर्ष के स्थायी पट्टे पर **प्रथम 15** वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर किराये में **25 प्रतिशत** वृद्धि कर आगामी **15 वर्ष** हेतु आबंटन किये जाने हेतु दो लिफाफा पद्धति से निर्धारित प्रपत्र में स्पीड पोस्ट के माध्यम से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। धरोहर राशि का डी.डी. जो राष्ट्रीयकृत बैंक से आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से प्रथम लिफाफा में डी.डी. एवं द्वितीय लिफाफा में, निविदादर प्रस्तुत करना होगा। निविदा दिनांक **05.03.2020** को शाम **5:30 बजे** तक राजस्व विभाग मुख्य कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। प्राप्त निविदाओं को **दिनांक 06.03.2020** को **3:00 बजे** राजस्व विभाग नगर निगम रायपुर में खोली जावेगी।

क.	दुकान की क.	आरक्षण में श्रेणी	क्षेत्रफल (वगमीटर में)	आफसेट दर	प्रीमियम राशि का 25 प्रतिशत अमानती राशि
1	2	3	4	5	6
	मोहबा बाजार				
1	प्रथम तल–01	अनारक्षित	5.20X3.50	881469	220367
2	प्रथम तल–02	अनारक्षित	5.20X3.50	881469	220367
3	प्रथम तल–03	अनारक्षित	5.20X3.50	881469	220367
4	प्रथम तल–04	अनुसूचित जनजाति	5.20X3.50	881469	220367
5	प्रथम तल–05	शिक्षित बेरोजगार	5.20X3.50	881469	220367
6	प्रथम तल–06	अनारक्षित	5.20X3.50	881469	220367
7	प्रथम तल–07	महिला	5.20X3.50	881469	220367
8	प्रथम तल–08	अनुसूचित जाति	5.20X3.50	881469	220367
9	प्रथम तल–09	अ.पि.वर्ग	5.20X3.50	881469	220367
10	प्रथम तल–10	अनारक्षित	5.20X3.50	881469	220367
11	प्रथम तल–11	अ.पि.वर्ग	5.20X3.50	881469	220367
12	प्रथम तल–12	अनुसूचित जाति	5.20X3.50	881469	220367
13	प्रथम तल–13	अनारक्षित	5.20X3.50	881469	220367
14	प्रथम तल–14	अनारक्षित	5.20X3.50	881469	220367

11/02/2020

Scanned by CamScanner

	नेताजी सुभाष स्टेडियम				
15	भूतल–01	महिला	31.76	3306000	826500
16	भूतल–02	अनारक्षित	31.76	3306000	826500
17	भूतल–03	अनारक्षित	31.76	3306000	826500
18	भूतल–04	अन्य पिछड़ा वर्ग	31.76	3306000	826500
19	भूतल–05	अनारक्षित	31.76	3306000	826500
20	भूतल–06	अनुसूचित जाति	31.76	2017000	504250
21	भूतल–07	शिक्षित बेरोजगार	31.76	2017000	504250
22	भूतल–09	अनुसूचित जनजाति	31.76	2017000	504250
23	भूतल–10	अनारक्षित	31.76	2017000	504250
24	भूतल–11	अनारक्षित	31.76	2017000	504250
25	भूतल–12	अनारक्षित	31.76	2017000	504250
26	भूतल–13	अनारक्षित	31.76	2017000	504250
27	भूतल–14	अनारक्षित	31.76	2017000	504250
29	भूतल–15	अन्य पिछड़ा वर्ग	31.76	2017000	504250
30	भूतल–17	विधवा / परित्यक्ता महिला	31.76	2017000	504250
31	भूतल–18	अनुसूचित जाति	31.76	2017000	504250
32	भूतल–19	अनारक्षित	31.76	2017000	504250
33	भूतल–20	अनुसूचित जाति	31.76	2017000	504250
34	भूतल–21	अन्य पिछड़ा वर्ग	31.76	2017000	504250
	डंगनिया				
35	भूतल–1	अनारक्षित	10.33	451825	112956
36	भूतल–2	अ.पि.वर्ग	10.33	451825	112956
37	भूतल–3	महिला	10.33	451825	112956
38	भूतल–4	अनारक्षित	10.33	451825	112956
39	भूतल–5	अनुसूचित जाति	10.33	451825	112956
40	भूतल–6	अनारक्षित	10.33	451825	112956
41	भूतल–7	अनारक्षित	10.33	451825	112956
42	भूतल–8	अनारक्षित	10.33	451825	112956

Scanned by CamScanner

विशेष :– **आवेदन फार्म नगर निगम से जारी नहीं किये जायेंगे, वेबसाईट में प्रकाशित प्रारूप में ही निविदाकर्ता आवेदन करेंगे।**

1. प्रत्येक दुकान के लिए अलग–अलग निविदा आवेदन पत्र धरोहर राशि के साथ जमा करना होगा। जिस नाम से निविदा आवेदन किया जावेगा उस नाम से ही निविदा स्वीकार की जावेगी।
2. **प्रत्येक दुकान हेतु प्रस्तुत निविदा में दुकान कमांक तथा आरक्षण का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। उल्लेख नहीं होने पर निविदा स्वीकार नही की जावेगी।**
3. **आरक्षित वर्ग को आरक्षण से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज अनिवार्यतः निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी।**
4. निविदा की समस्त शर्ते एवं नियम कार्यालयीन अवधि में राजस्व विभाग मुख्य कार्यालय, संबंधित जोन कार्यालय एवं नगर पालिक निगम रायपुर की वेब साईड **www. nagarnigamraipur. nic.in** से देखी जा सकती है।

उपायुक्त (राजस्व)
नगर पालिक निगम, रायपुर

पृ. क.–[redacted]/ राजस्व / न.पा.नि. / 2020 रायपुर, दिनांक ...... / 02 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. माननीय महापौर / सभापति / नेता प्रतिपक्ष / भारसाधक सदस्य नगर पालिक निगम रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. जोन कमिश्नर 01 से 08 नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ।
4. राजस्व अधिकारी नगर पालिक निगम रायपुर को नोटिस बोड में चस्पा हेतु।
5. सहायक राजस्व अधिकारी जोन कमांक–01 से 08 नगर पालिक निगम को सूचनार्थ।

उपायुक्त (राजस्व)
नगर पालिक निगम, रायपुर

Scanned by CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम, (राजस्व) रायपुर (छ.ग.)
फोन.न.:- 2535780, 90, फैक्स :- 0771-2227395
Website - www.nagarnigamraipur.nic.in

// विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित दुकानों के आबंटन हेतु नियम एवं शर्तें //

1. नगर निगम रायपुर द्वारा मोहबा बाजार की–**14 दुकानें**, नेताजी सुभाष स्टेडियम की–**19 दुकानें** एवं डंगनिया की–**08 दुकानें कुल–41** दुकानों को 30 वर्ष के स्थायी पट्टे पर प्रथम 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर किराये में 25 प्रतिशत वृद्धि कर आगामी 15 वर्ष हेतु आबंटन किये जाने को 30 वर्ष के स्थायी पट्टे पर प्रथम 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर किराये की राशि में 25 प्रतिशत वृद्धि कर आगामी **15 वर्ष** हेतु लीज अविध बढ़ायी जावेगी। जिसके आबंटन हेतु न्यूनतम निर्धारित मूल्य से अधिक राशि का प्रस्ताव मुहरबंद निविदा के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। प्रत्येक दुकान के लिए अलग–अलग निविदा आवेदन पत्र धरोहर राशि के साथ जमा करना होगा। जिस नाम से निविदा जमा किया जावेगा उस नाम से ही निविदा स्वीकार की जावेगी।
2. निविदा के लिए निर्धारित की गई धरोहर राशि आयुक्त, नगर निगम, रायपुर के नाम पर देय डिमांड ड्रॉफ्ट द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
3. मुहरबंद निविदाएं आयुक्त नगर पालिक निगम बाजार विभाग मुख्य कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के नाम से देय होगी।
4. कोई भी निविदा आवेदन पत्र जिसमें निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम राशि का प्रस्ताव होगा स्वीकार नहीं होगा। ऐसी निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
5. आरक्षित वर्ग को आरक्षण से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज अनिवार्यतः निविदा लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी।
6. केवल ऐसे व्यक्तियों को ही निविदा में भाग लेने की पात्रता होगी जो :–
   (अ) भारतीय नागरिक हों
   (ब) फर्म या कंपनी की ओर से प्रस्ताव करने पर फर्म या कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, भागीदार विलेख तथा अधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
   (स) मानसिक रूप से दीवालिया, विक्षिप्त या पागल न हों।
   (द) नाबालिग न हो।
7. निविदादाता को उसकी निविदा स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि में समस्त देय राशि जमा कर स्वयं के व्यय से आबंटित दुकान के पट्टे का निष्पादन एवं पंजीयन कराना होगा।
8. निविदादाता को नगर निगम कार्यालय में दुकान के पट्टा पंजीयन की फोटोप्रति प्रस्तुत किये जाने के बाद ही दुकान का आधिपत्य दिया जावेगा।

11/02/2020

Scanned by CamScanner

9. आबंटित दुकान की छत पर पटटाधारी का कोई अधिकार नहीं होगा।

10. दुकान के आबंटन स्वीकृति की सूचना निविदाकर्ता को उनके लिखित पते पर डाक से भेजी जाएगी। यदि आबंटिती को समय पर डाक से सूचना प्राप्त नही होती है अथवा पत्र वापस आ जाता है तो नगर निगम को धरोहर राशि जब्त करने और आबंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

11. उच्चतम निविदा/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कि उसकी निविदा/प्रस्थापना स्वीकृत कर ली गयी है, निविदा/प्रस्थापना की शतप्रतिशत राशि **30 दिन** के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, परन्तु इस राशि में प्रतिभूति निक्षेप की राशि समायोजित की जायेगी। यदि विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी राशि जमा नहीं की जाती है तब प्रतिभूमि निक्षेप की राशि जब्त तथा इस संबंध में अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी, न ही कोई अभ्यावेदन स्वीकार किया जाएगा और न ही निविदादाता द्वारा किसी भी न्यायालय में इस संबंध में कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

12. आबंटन प्रस्ताव जारी होने के बाद यदि निविदादाता दुकान नहीं लेना चाहेगा तो धरोहर राशि राजसात हो जाएगी।

13. निविदादाता/आबंटिती को दुकान में कम्पन्न करने वाली मशीन लगाने, मादक पदार्थो, ज्वलनशील/विस्फोटक सामाग्रियों को रखने अथवा उसका व्यवसाय करने का अधिकार नहीं होगा। इसी तरह शासन द्वारा प्रतिबंधि अन्य व्यवसाय भी नहीं किया जा सकेगा।

14. आबंटिती को दुकान में स्वयं के व्यय से छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल से बिजली का कनेक्शन/मीटर लेना होगा तथा विद्युत देयकों का भुगतान स्वयं करना होगा।

15. आबंटिती को भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, स्थानीय संस्थाओं एवं अन्य शासकीय विभागों द्वारा समय–समय पर अधिरोपित करों/फीस का भुगतान स्वयं करना होगा। तथा नगरीय निकाय में समय–समय पर प्रचिलत संपत्तिकर, समेकित कर एवं अन्य सेवा प्रभारों का अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा।

16. आबंटिती को दुकान का मासिक किराया स्वीकृत प्रीमियम राशि का **02 प्रतिशत वार्षिक** देय होगा। तथा प्रति **तीन वर्ष** में किराये में **05 प्रतिशत** चक्रवृद्धी क्रम में की वृद्धि की जावेगी एवं निर्धारित समय में किराया राशि जमा न करने पर नियमानुसार सरचार्ज देय होगा। किराया कब्जा देने की तिथि से प्रभावशील होगा।

17. दुकान के लीज डीड निष्पादित होने के 02 वर्ष पश्चात् आबंटिती द्वारा दुकान अन्य किसी को हस्तांतरित करने के पूर्व नगर निगम से अनुमति प्राप्त करना होगा जिसके लिए क्रेता/विक्रेता का संयुक्त आवेदन प्रकाशन शुल्क के साथ जमा करना होगा। तत्पश्चात् दावा–आपत्ति उपरांत गुणदोष के आधार पर वर्तमान मासिक किराया में **10% वृद्धि** कर **30,000/–रू.** नजराना जमा करने पर हस्तांतरण किया जा सकेगा। परन्तु आबंटिती की मृत्यु हो जाने की दशा में वारिसानों के पक्ष में नामांतरण हेतु नामांतरण शुल्क देय नहीं होगा।

Scanned by CamScanner

18. आरक्षित वर्ग की दुकाने भविष्य में आरक्षित वर्ग को ही हस्तांतरित/स्थानांतरित की सकेगी।

19. आबंटिती को दुकान का रखरखाव एवं रंगाई–पुताई स्वतः कराना होगा।

20. आबंटिती द्वारा निष्पादित पट्टे एवं निविदा की नियम एवं शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर नगर निगम को यह अधिकार होगा कि वह दुकान का आबंटन निरस्त कर दे तथा जमा समस्त राशि नगर निगम में राजसात कर ले। आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर को यह अधिकार होगा कि वह प्रकरण के गुणदोषों के आधार पर पुर्नविचार कर पट्टे एवं निविदा के नियम एवं शर्तो के उल्लंघन पर स्वीकृत निविदा राशि का **25 (पच्चीस)** प्रतिशत अर्थदण्ड अधिरोपित कर उपशमन कर सकेंगे।

21. भागीदार फर्मो के संबंध में 50 (पचास) प्रतिशत या उससे ज्यादा भागीदारों का समावेश करने अथवा हटाने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर की अनुमति से तत्समय निर्धारित नामांतरण शुल्क नगर निगम कोष में जमा किये जाने पर अनुमति दी जा सकेगी।

22. निविदा एवं पट्टे के नियम एवं शर्तो से उद्धृत किन्हीं विवादों के संबंध में अथवा उभय पक्ष के मध्य उत्पन्न किसी विवाद के संबंध में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के समक्ष पंच निर्णय (आर्बिट्रेशन) हेतु सौंपा जायेगा। ऐसे विवाद का निपटारा आयुक्त अथवा उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, जिसका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा।

23. दुकानों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।

24. **प्रत्येक दुकान हेतु प्रस्तुत निविदा में दुकान कमांक तथा आरक्षण का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। उल्लेख नहीं होने पर निविदा स्वीकार नही की जावेगी।**

25. वर्णित व्यवसायिक परिसर में आबंटितियों को परिसर के रखरखाव एवं आवश्यक मरम्मत कार्य के लिये एक समिति गठित कर स्वयं के व्यय में रखरखाव एवं मरम्मत कार्य करना होगा।

26. आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा निविदा शर्तो को संशोधन या शिथिल किया जा सकेगा। आयुक्त नगर पालिक निगम का निर्णय अंतिम होगा।

11/02/2020

उपायुक्त (राजस्व)
नगर पालिक निगम, रायपुर

Scanned by CamScanner

// निविदा आवेदन पत्र का प्रारूप //

जवाहर बाजार में निर्मित हॉल के आबंटन हेतु

प्रति,

निविदादाता का फोटो (स्वयं द्वारा प्रमाणित)

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

(निविदादाता द्वारा स्वयं भरा जाए)

1. निविदादाता का नाम :— ....
2. पिता/पति का नाम :— ....
3. जन्म तिथि :— ....
4. स्थायी निवास/पत्र व्यवहार का पता :— ....
....
5. दूरभाष तथा मोबाइल नं. :— ....
6. ई–मेल पता (E- mail ID) :— ....
7. आवेदन के साथ धरोहर राशि जमा करने का विवरण
   राशि (अंकों में) रूपये ....
   (शब्दों में) रूपये ....
   बैंक का नाम ....
   बैंक ड्रॉफ्ट का नंबर ....दिनांक ....
8. निविदादाता द्वारा चयनित हॉल एवं प्रस्तावित मूल्य निम्नानुसार है :—

दुकान नं.	हॉल का आरक्षण वर्ग	निविदादाता द्वारा प्रस्तावित मूल्य	निविदादाता के हस्ताक्षर
		(अंकों) में रू. .... (शब्दों में) रू.	

—:: <u>अभिवचन</u> ::—

मैं .... में हॉल का आबंटन में उपरोक्त हॉल निविदा में अंकित मूल्य पर 30 वर्ष के स्थायी पट्टे पर लेने के लिए सहमत हूं। इस हेतु मैंने निविदा की समस्त शर्तो को पढ़कर समझ लिया है। निविदा की समस्त नियम एवं शर्ते मुझे मान्य है। मैंने कंडिका (08) में कुल प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया है।

स्थान :—

दिनांक :—

(निविदादाता का हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner